

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 70/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री प्रियदर्शनी अभिलाषा पुत्री किशन बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं
लाल गर्ग निवासी C/o दुर्गाशंकर गर्ग तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा
15-ए तिरुपति नगर, बालाजी वाटिका
के पास नया गांव रोड, पाली

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15.10.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के विरुद्ध दिनांक 09.08.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 231178 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 26.06.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 26.06.2018 को प्रेषित किया। इसी आवेदन पत्र के पुस्त पर तहसीलदार आसीन्द ने क्रमांक/4351 दिनांक 02.07.2018 से अंकित कर "चाही गयी सूचना किस गांव व तहसील की सूचना चाहिए" अपीलार्थी को आवेदन पत्र लौटाया गया। फोटो प्रति संलग्न हैं।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना स्पष्ट अंकित करने हेतु सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 15.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाड़ा